

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
राजस्व विभाग,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- १-कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- २-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३-समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- ४-समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

राहत आयुक्त कार्यालय

दिनांक: २८ मार्च, २०२०

विषय-कोविड-१९ से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों से प्राप्त पत्रों के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र संख्या- ४०-३/२०२०-DM-I (A) दिनांक २४.०३.२०२० का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-१९ के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

२- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक २३ मार्च २०२०, एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या-२२४३९३/२०२०/O/O AS(VKT) दिनांक २४ मार्च २०२०, का भी संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-१९ के बचाव एवं लॉकडाउन में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

कृपया उक्त के संबंध में कोविड-१९ से बचाव एवं लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त उक्त पत्रों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

  
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।